मंत्रियों की सुनेंगे मगर उन्हें लिखेंगे नहीं जागरण ब्यूरो, पटना : असंतुष्ट जमात से अक्सर सुन सकते हैं इस सरकार में अफसर हावी हैं। विधायकों, मंत्रियों की भी नहीं सुनते। हाल ही एक एसपी ने सीधा मंत्री को पत्र लिख दिया तो सरकार का ध्यान भी अधिकारियों की आचार संहिता की ओर गया। मुख्य सचिव नवीन कुमार ने हस्तक्षेप किया और आचार संहिता की याद कराते हुए सभी डीएम, एसपी को निर्देश दिया है। इस सिलसिले में सरकार के 1958 के आदेश का भी स्मरण कराया गया है, जिसमें मंत्रियों और उनके आप्त सचिवों द्वारा डीएम एवं अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों को सीधे आदेश दिये जाने पर उसके निष्पादन की प्रक्रिया का जिक्र है। कहा गया है कि उस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा। सीधे मंत्री कोई आदेश देते हैं, तो उस पर कार्रवाई करें। मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि सामान्यत: किसी मंत्री का कोई आदेश संबंधित अधिकारी को अनुपालन के लिए सचिवालय के माध्यम से भेजा जाता है। मगर कभी-कभी, विशेष रूप से भ्रमण के दौरान किसी मंत्री द्वारा किसी अधिकारी को कोई आदेश-निर्देश दिया जा सकता है। ऐसे लिखित या मौखिक आदेश का संबंधित अधिकारी द्वारा पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि वह विधि, नियमों एवं विनियमों या सरकार की स्पष्ट निर्धारित किसी नीति के विरुद्ध नहीं हो या जनहित में ऐसे आदेश के पुनर्विचार का कोई ठोस कारण न हो।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति